Index

In the mater of O.A N0- 521/2022

Sampurna nand vs state of U.P & ors

S.N0.	PARTICULARS	PAGE.N0.
1	प्रार्थना पत्र	1-6
2	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन 2022	7-11
3	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन 2011	13-24
4	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बंदी आदेश और सील करने के बाद संचालित खनन पट्टे केशर प्लांट और अवैध खनन का जीपीएस मैप के सहायता से लिया गया फोटो ।	25-46

दिनांक- 23/04/2024

सेवा में –

माननीय अध्यक्ष महोदय
मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण
मुख्य ब्रांच नई दिल्ली भारत

विषय– ओ0ए0 संख्या 521/2022 सम्पूर्णा नन्द बनाम उत्तर–प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बंध में–

महोदय–

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी सम्पूर्णा नन्द उक्त केस ओ0/ए0 सं0 521/2022 में सिकायतकर्ता/आवेदक है, महोदय उक्त केस में प्रश्नगत सभी खनन पट्टे व केशर प्लांटों का संचालन मानक विपरीत हो रहा है। जिनमें से 21 केशर प्लांटों को दिनांक 06/03/2024 को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र,उपजिलाधिकारी चुनार व थाना अध्यक्ष अहरौरा मिर्जापुर उ0प्र0 के संयुक्त टीम द्वारा सिल कर दिया गया जबकि 5 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईड लाइन के मानक अनुरुप अनुपालन करना बता कर उन्हे संचालन की अनुमति दे दीगई जबकि मुख्य बिंदू **केशर प्लांटों और स्कूल, बस्ती, धार्मिक स्थल के बीच की न्यूनतम दूरी 500 मीटर से कम न हो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया , एक केशर प्लांट का अनुमति है और दो केशर प्लांट चलाया जा रहा है अधिकारी उसपर कुछ कार्यवाही नहीं की रहे हैं ।**

निम्नलिखित बिन्दूओं पर ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट पता चलता है कि उक्त क्षेत्र में खनन पट्टा धारकों, केशर प्लांट संचालकों व स्थानीय अधिकारीयों के मिलिभगत से कितने बड़े पैमाने पर मानक विपरीत केशर प्लांटों व खनन पट्टों का संचालन हो रहा है।

1– पीलर A समान है–

R- 12 मे0 कामदगीरी ट्रेडर्स – अशोक मिश्र पृष्ट संख्या– 4258

R- 29 खाकी बाबा कंस्ट्रक्शन कम्पनी – रमेश सिंह – 4602

R- 28 केवीवी इंफ्राटेक एण्ड ट्रेडर्स–व्यास वर्मा एण्ड बाबू नरायण कुश्वाहा पृष्ट संख्या– 4542

2– पीलर B समान है–

R- 12 मे0 कामदगीरी ट्रेडर्स – अशोक मिश्र पृष्ट संख्या– 4259

R- 29 खाकी बाबा कंस्ट्रक्शन कम्पनी – रमेश सिंह – 4603

R- 28 केवीवी इंफ्राटेक एण्ड ट्रेडर्स–व्यास वर्मा एण्ड बाबू नरायण कुश्वाहा पृष्ट संख्या– 4543

3– पीलर D समान है–

R- 28 केवीवी इंफ्राटेक एण्ड ट्रेडर्स–व्यास वर्मा एण्ड बाबू नरायण कुश्वाहा पृष्ट संख्या– 4545

R- 15 मे0 स्वतंत्र विजय सिंह – पृष्ट संख्या– 4364

दोंनों लोग 15 और 16 का एक समान

R- 29 खाकी बाबा कंस्ट्रक्शन कम्पनी – रमेश सिंह – 4600

R- 12 मे0 कामदगीरी ट्रेडर्स – अशोक मिश्र पृष्ट संख्या– 4261

R- 16 मो0 शमशाद – पृष्ट संख्या– 4449

तीन लोंग 29,12,16 का एक समान है

4– पीलर E समान है–

R- 28 केवीवी इंफ्राटेक एण्ड ट्रेडर्स–व्यास वर्मा एण्ड बाबू नरायण कुश्वाहा पृष्ट संख्या– 4546

R- 29 खाकी बाबा कंस्ट्रक्शन कम्पनी – रमेश सिंह – 4599

दो लोग 28,29 का एक समान

R- 16 मो0 शमशाद – पृष्ट संख्या– 4450

R- 15 मे0 स्वतंत्र विजय सिंह – पृष्ट संख्या– 4365

दो लोग 15,16 एक समान है

5– पीलर F समान है–

R - 15 मे0 स्वतंत्र विजय सिंह – पृष्ट संख्या– 4366

R- 16 मो0 शमशाद – पृष्ट संख्या– 4451

R- 28 केवीवी इंफ्राटेक एण्ड ट्रेडर्स–व्यास वर्मा एण्ड बाबू नरायण कुश्वाहा पृष्ट संख्या– 4547

R- 29 खाकी बाबा कंस्ट्रक्शन कम्पनी – रमेश सिंह – 4598

R- 12 मे0 कामदगीरी ट्रेडर्स – अशोक मिश्र पृष्ट संख्या– 4263

6– सभी पीलर A,B,C,D समान है–

R- 19 करुणा कन्सलटेन्स – भावना पाण्डेय – पृष्ट संख्या– 3001–3003

R- 18 करुणा कन्सलटेन्स – भावना पाण्डेय – पृष्ट संख्या– 4867–4869

R- 23 रमाकान्त दूबे – पृष्ट संख्या– 2548–2551

तीन लोगों का पीलर बिल्कुल एक समान है 18,19,23

R- 20 कमलाशंकर यादव और R- 42 गुलबदन का **पीलर A,B,C,D**

7– पीलर A, D समान है–

R- 25 चन्द्रभान सिंह – पृष्ट संख्या– 3351

R- 26 चन्द्रभान सिंह – पृष्ट संख्या– 3268

8– फाटो समान है–

R- 22 अखिला नन्द मिश्रा – पृष्ट संख्या– 3185, 3186

R- 19 करुणा कन्सलटेन्स – भावना पाण्डेय – पृष्ट संख्या– 3033 और 3032 के दाहिने भाग का फोटो

R- 26 चन्द्रभान सिंह – पृष्ट संख्या– 3350 का आधा उपरी हिस्सा

R- 25 चन्द्रभान सिंह – पृष्ट संख्या– 3271

R- 21 अखिला नन्द मिश्रा – पृष्ट संख्या– 3109, 10

R- 18 करुणा कन्सलटेन्स – भावना पाण्डेय – पृष्ट संख्या– 4898–4900

R- 15 –मे0 स्वतंत्र विजय सिंह पृष्ट संख्या–4310,

R- 16 मो0 शमशाद का– पृष्ट संख्या– 4411

दोनों लोग 15,16 का एक है

R- 52 प्रशांत सिंह राजलक्ष्मी इंटरप्राजेज का – पृष्ट संख्या–4931,4932,4933,4934

R- 7 विजेता सिंह के – पृष्ट संख्या–4971,4986,4987,4988 समान है

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 के पत्र संख्या 1104/मा0प्लान/2017 दिनांक 10/10/2020 के कम 1(छ) के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान करना खनन पट्टा धारकों के लिए अनिवार्य है–माननीय एनजीटी में संलग्न है पृष्ट संख्या – 3852–3853

1– बेंच की ऊचाई अधिकतम 06 मीटर एवं बेंच की चौड़ाई ऊचाई से कम से कम दो गुनी होनी चाहिए।

2– खनन कार्य उपर से नीचे की ओर बेंच बनाते हुए किया जाएगा।

3– खनन कार्य के द्वौरान निकाले गए मलवे विशेषकर टाप स्वायल को व्यवस्थित रुप से एकत्रित कर रखा जाएगा।

4– फेस का ढ़लान 60° से अधिक न हो और कहीं भी अण्डर कटींग न हो
5–खनन कार्य के फलस्वरुप बने गड्ढ़े को मलवा भरकर समतल कर वृक्षारोपण करना होगा।

लेकिन कोई भी खनन पट्टा धारक किसी बिन्दू का पालन नहीं किया गया है किसी ने भी खनन कार्य के बाद बने गड्ढ़े को मलवा डालकर नहीं भरा न हीं वृक्षारोपण किया गया

प्राथी के मांगें गए जनसूचना के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र के पत्र संदर्भ सं0– जी 000177/ओ0जी0– 23/2023/vol-14 दिनांक – 06/03/2023 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्टोन केशर प्लांट ईकाईयों के सम्बंध में निर्धारित किए गए गाइडलान्स की मुख्य बिन्दू निम्नलिखित है –

गाइडलाइन 2020 के अनुसार–

1– राष्ट्रीय/राज्य मार्ग की सड़क के मध्य से कम से कम 250 मीटर तथा अन्य मार्गो जिला मार्ग/मुख्य जिला मार्ग की सड़क के मध्य से कम से कम 100 मीटर दूर ईकाई को स्थापित किया जाएगा।

2– आबादी / सार्वजनिक स्थल/शैक्षणिक संस्थान/अस्पताल/धार्मिक स्थल से न्यूनतक दूरी 500 मीटर रखी जाए।

लेकिन कई केशर प्लांटों की न्यूनतम दूरी निर्धारीत दूरी से कम है फिर भी संचालित हो रहे हैं।

3– ईकाई के चारो तरफ कम से कम 33 प्रतिशत भू–भाग पर धूल कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ की हरित पट्टीका विकास करने की कार्यवाही स्थापनार्थ सहमति प्राप्त करने के उपरान्त 6 महीने में पूरी करनी होगी।

लेकिन किसी भी केशर संचालक द्वारा आजतक ऐसा नहीं किया गया ।

4–धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोग होने वाली विधियों को इकाई मालिक द्वारा स्वयं के खर्चे पर स्थापित करने होंगे। और इकाई में अनवरत कार्यरत रखने की जिम्मेदारी इकाई स्वामी की होगी।

लेकिन किसी भी केशर संचालक द्वारा ऐसे कोई उपाय नहीं किए गए।

5– ऐसे स्टोन केशर इकाईयां जो कि नवीन गाइडलाइन के लागू होने के उपरान्त स्थापिन की जाएगी उनके द्वारा उद्योग परिसर के चारों ओर लघु श्रेणी के स्टोन केशर इकाईयों हेतू न्यूनतम 5 मीटर ऊंची तथा मध्यम एवं वृहद श्रेणी की स्टोन केशर इकाईयों हेतु न्युनतम 6

(A)

मीटर ऊंची विण्ड ब्रेकिंगवाल का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा। विण्ड ब्रेकिंग वाल सबसे ऊंची कन्वेयर बेल्ट से न्यूनतम 1 मीटर ऊंची होगी।

लेकिन किसी भी केशर संचालक द्वारा ऐसे नहीं किया गया है सभी के कन्वेयर बेल्ट की ऊंचाई विण्ड ब्रेकिंग वाल से ज्यादा है साथ ही जो भी लोग विण्ड ब्रेकिंग वाल बनाएं हैं वो टीन का है तथा दो टीन के बीच में गैप बहुत ज्यादा किया गया है, और ऊंचाई भी मानक से बहुत कम है। जिस विण्ड ब्रेकिंग वाल ऊंचाई 16 फीट से अधिक हर हाल में होनी चाहिए वहीं 08–10 फीट ऊंचा विण्ड ब्रेकिंग वाल बनाया गया है।

6– क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र जनसूचना सं0 जी 000177/ओ0जी0–23/2023/vol-14 दिनांक– 06/03/2023 के बिन्दू 18 के अनुसार किसी भी स्थान पर भण्डारित पदार्थ (कच्चा या उत्पादित) की अधिकतम ऊचाई बिण्ड ब्रेकिंगवाल की ऊचाई से 1.5 मीटर कम रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

लेकिन क्षेत्र में संचालित अधिकांश केशर प्लांटों पर उत्पादित पदार्थ की ऊचाई 80–100 फीट है।

7– जिन 5 केशर प्लांटों को यह बताकर संचालित रखने का फैसला उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कि वे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए सहमती पत्र का अनुपालन कर रहे हैं ।

उनके बारे में यह कहना है कि वे भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए सहमती पत्र का अनुपालन नहीं कर रहे हैं । **क्योंकि इन केशर प्लांटों और स्कूल, बस्ती, धार्मिक स्थल के बीच की न्यूनतम दूरी 500 मीटर से कम है। और उचित मात्रा में हरित पट्टीका भी विकशित नहीं किया गया है, बाउण्ड्रीवाल की ऊचाई भी** उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईड लाइन के मानक अनुरुप नहीं है।

प्रश्नगत 26 केशर प्लांटों में से जिन 5 केशर प्लांटों को संचालन कि अनुमति दी गई है उनका सत्यापन अधिकतम 10 दिनो के अन्दर सिकायतकर्ता के उपस्थिति में किया जाए और उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईड लाइन सभी बिंदूओं पर हो जांच आख्या की एक प्रत्रि उसी दिन सिकायतकर्ता को भी दिया जाए।

ग्रामसभा भगौती देई, सोनपुर, चकजाता में अभी भी ऐसे कई केशर प्लांट और खनन पट्टे मानक विपरीत संचालित हैं जिनके नाम किसी वजह से इस केस में नहीं लाया गया ना हीं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उनके उपर कोई कार्यवाही कि जा रही है उन्हें भी इस केस में सामिल किया जाय और उनके उपर भी वैधनिक कार्यवाही किया जाए।

जिन खनन पट्टे व केशर प्लांटों को बंदी आदेश के तहत बंद व सील कर दिया गया है वह भी संचालित हो रहे हैं जो स्थानीय अधिकारीयों के मिलिभगत से हो रहा है क्योंकि जो खनन पट्टे बंद हैं उसमें ब्लास्टिंग करके खनन किया जा रहा है सील किए गए केशर प्लांटों का संचालन हो रहा है जो सील काटने या सम्बंधीत अधिकारीयों द्वारा चाभी देने पर ही सम्भव है। जिसकी फोटो विडियों जियो लोकेशन के साथ खान अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र उ0प्र0, थाना अध्यक्ष अहरौरा, उपजिलाधिकारी चुनार और जिलाधिकारी मिर्जापुर को ह्वाट्स ऐप के माध्यम से भेजने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है किसी के उपर कुछ स्थानों पर बिल्कुल अवैध खनन हो रहा है जिसकी सूचना उपरोक्त सभी अधिकारीयों को है फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, बंद किए गए अधिकांश खनन पट्टे व स्टोन केशर प्लांट संचालित हो रहे हैं लेकिन जिनके विडियो उपलब्ध प्रार्थी के पास उनमें मॉ शीतला स्टोन केशर प्लांट, मॉ शीतला स्टोन(खनन पट्टा) आ0सं0 1क सोनपुर बिन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज आ0सं0 157 सोनपुर, पीबीआर इन्फ्राटेक लिमिटेड यूनिट–4 सोनपुर, खाकी बाबा कंस्ट्रक्शन आ0सं0 732 भगौती देई व अवैध खनन आ0सं0 180/2 भगौती देई ऐसे में सम्बंधीत अधिकारीयों और अवैध खननकर्ता, स्टोन केशर संचालक, खनन पट्टाधारकों के मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण से निवेदन है कि बंदी आदेश के बाद भी संचालित हो रहे खनन पट्टे व केशर प्लांट संचालकों के उपर भारी जुर्माना लगाते हुए उन्हे ब्लैक लिस्ट में डालते हुए वहीं जुर्माना व वैधानिक कार्यवाही क्षेत्रीय अधिकारीयों पर भी शुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है तभी अवैध खनन के साथ–साथ मानक विपरीत संचालित केशर प्लांटों व खनन पट्टों पर रोक लगाई जा सकती है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बंद किए गए प्रश्नगत सभी केशर प्लांटों व खनन पट्टों को प्रभावी रुप में बंद रखा जाए तथा जिन केशर प्लांटों के संचालन की अनुमति दी गई है उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तरफ से उनका सत्यापन प्रार्थी के उपस्थिति में कराकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए साथ ही क्षेत्र के उक्त ग्रामसभाओं में संचालित उन सभी स्टोन केशर प्लांटों व खनन पट्टों का नाम सम्लित करके जॉच कराई जाए जिनका नाम इसमें किसी कारण वस नहीं आया है।

प्रार्थी

Sampranand 23/04/2024

सम्पूर्णा नन्द

ग्राम– भगौती देई पो0– पटिहटा

त0– चुनार, जनपद– मिर्जापुर

उ0प्र0 पिन– 231304

(6)

7

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 पदूषण नियंत्रण बोर्ड
सोनभद्र

संदर्भ सं0 जी000177/ओ0जी0–23/2023/V01-14 दिनांक–06.03.2023

सेवा मे,

श्री सम्पूर्णा नन्द,
ग्राम–भगौतीदेई, पोस्ट–पटिहट्टा,
तह0 चुनार, थाना–अहरौरा, जनपद–मीरजापुर।
मो0नं0–9450936703

विशयः–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6(1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र संख्या–शून्य, दिनांक–08.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहे, जिस पर सूचना शुल्क के रूप में रू0 10.00 का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या–56एफ 260631 संलग्न किया जाना अंकित है। उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना बिन्दुवार निम्नवत् हैः–

बिन्दु सं0 1– सूचना धारित नहीं है।

बिन्दु सं0 2– संदर्भित विन्दु के कम में मांगी गयी सूचना अत्यधिक विस्तृत होने के कारण इस संकलित किये जाने में बोर्ड के मूल कार्य प्रभावित होंगे, जिससे बोर्ड के संसाधनों का अननुपाती विचलन होता है, एवं उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 की धारा 4(2)(ख)(5) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार वांछित उक्त सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है।

बिन्दु सं0 3–संदर्भित बिन्दु के क्रम में चाही गयी सूचना कार्यालय अभिलेखानुसार कुल 05 पृष्ठ(ए–4 साईज) की है, जो संलग्न है।

बिन्दु सं0 4–संदर्भित विन्दु के कम में मांगी गयी सूचना अत्यधिक विस्तृत होने के कारण इस संकलित किये जाने में बोर्ड के मूल कार्य प्रभावित होंगे, जिससे बोर्ड के संसाधनों का अननुपाती विचलन होता है, एवं उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 की धारा 4(2)(ख)(5) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार वांछित उक्त सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रेषित आपका आवेदन–पत्र दिनांक 08.02.2023 निस्तारित किया जाता है।

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से क्षुब्ध हैं तो आप सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पदनाम, पता और दूरभाष संख्या निम्नवत् हैः–

डॉ0 एस0सी0 शुक्ला,
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र।
दूरभाष संख्या–7839891967

भवदीय,

06/03/2023

जनसूचना अधिकारी

8

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H 71497 /सी–3/ मॉडल स्टोन क्रेशर-163/ 22 दिनांक: 10 /02/2022

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
....

विषयः प्रदेश में स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लाण्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के संबंध में बोर्ड की 80वीं बैठक में अनुमोदित एवं 83वीं बैठक में संशोधित गाइडलाइन्स के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक–06.01.2022 को सम्पन्न हुई 106वीं बैठक में कार्य सूची संख्या–106.22 में प्रस्तुत विषय "प्रदेश में स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लाण्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के संबंध में और अधिक प्रभावी कार्यवाही हेतु गाइड लाईन्स बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। साथ ही निर्देश दिये गये कि इस संबंध में वन विभाग की गाइड लाइन को भी संज्ञान में लिया जाये।

उक्त के अनुक्रम में दिनांक–06.01.2022 को सम्पन्न बोर्ड की 106वीं बैठक की कार्यसूची संख्या–106.22 पर बोर्ड के समक्ष "प्रदेश में स्टोन क्रेशर स्क्रिनिंग प्लाण्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के संबंध में बोर्ड की 83वीं बैठक में अनुमोदित गाईडलाइन में संशोधन" किया गया है।

उक्त के अनुक्रम में गाईडलाइन्स एवं उक्त के संशोधन की छायाप्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(आर.के. त्यागी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपिः

1. सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को संलग्नक सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, 2, 4, 5, 6, 7 को संलग्नक सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

o/c Ay

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Scanned with CamScanner

9

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी. सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संख्या–G 37272/32/2022/102 दिनांक–14/1/22

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3,
"बोर्ड" मुख्यालय।

दिनांक–06 जनवरी, 2022 को सम्पन्न हुई 106वीं बैठक की निम्नलिखित कार्यसूचियों, जिनकी छायाप्रतियां संलग्न हैं, पर बोर्ड द्वारा उनके समक्ष अंकित निर्णय लिये गये–

क्र0 सं0	विषय	कार्यसूची संख्या	निर्णय
1.	बोर्ड द्वारा 105वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या।	106.02	बोर्ड द्वारा 105वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन कर यह निर्देश दिये गये कि– 2. प्रदेश में नये स्थापित होने वाले पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट/ईंधन भराव केन्द्र से जनित पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के रोकथाम हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स के आलोक में उचित संशोधन कर, सुविचारित प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
2.	प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लाण्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के सम्बन्ध में बोर्ड की 80वीं बैठक में अनुमोदित एवं 83वीं बैठक में संशोधित गाइडलाइन्स को अधिक्रमित कर नवीन गाइडलाइन्स बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव।	106.22	प्रस्ताव अनुमोदित।

अतः बोर्ड द्वारा लिए गए वर्णित निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर, कृत कार्यवाही से तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्नक–यथोपरि।

मुख्य पर्या0 अधि0(प्रशा0)

Scanned with CamScanner

कार्यसूची संख्या–106.22

विषय : प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर ईकाईयों के सम्बन्ध में बोर्ड की 80वीं बैठक में अनुमोदित एवं 83वीं बैठक में संशोधित गाइडलाइन को अधिक्रमित कर नवीन गाइडलाइन्स बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव :–

उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले एवं कार्यरत स्टोन क्रेशर, स्क्रिनिंग प्लांट एवं पल्वराइजर ईकाईयों (जिसको कि आगे इकाई कहा गया है) के सम्बन्ध में बोर्ड की 80वीं बैठक में गाइडलाइन अनुमोदित की गयी थी, जिसको कि बोर्ड की 83वीं बैठक में संशोधित किया गया था। प्रदेश में वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों एवं औद्योगीकरण के अनुक्रम में मा0 मंत्री ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 से इस आशय का अनुरोध किया गया है कि उ0प्र0 से सटे हुए अन्य राज्यों में स्टोन क्रेशर से सम्बन्धित एवं वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन के दृष्टिगत प्रदेश की गाइडलाइन को संशोधित किया जाए। स्टोन क्रेशर, स्क्रिनिंग प्लांट एवं पल्वराइजर ईकाईयों के संबंध में प्रचलित बोर्ड की गाईडलाइन वर्ष 2010 तदोपरान्त संशोधित गाईडलाइन वर्ष 2011 को सीमावर्ती राज्य यथा मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान राज्य में प्रचलित स्टोन क्रेशर की गाईडलाइन के दृष्टिगत संशोधित किये जाने संबंधी सुकृत स्टोन क्रशर एसोसिएशन, जनपद–सोनभद्र के प्रत्यावेदन दिनांक–04.07.2020 एवं 10.07.2020 उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया गया तथा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रकरण में योजित रिट (सी) संख्या–14238/2020 सुकृत स्टोन क्रशर एसोसिएशन व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में दिनांक–28.09.2020 को आदेश पारित किया गया, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं–

".... The sole grievance of the petitioners is with regard to disposal of the representations dated 4th July, 2020 and 10th July, 2020 pending consideration before the Uttar Pradesh Pollution Control Board.

Having considered facts of the case, we deem it appropriate to dispose of this petition for writ by directing the Uttar Pradesh Pollution Control Board to examine and decide the representations submitted by the petitioners within a period of six weeks from today...."

इस संबंध में राज्य बोर्ड द्वारा गठित समिति की संस्तुति तथा उ.प्र. राज्य के लगभग समरूप भौगोलिक स्थिति वाले राज्य यथा–मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखण्ड व राजस्थान में स्टोन क्रेशर से संबंधित प्रभावी गाईडलाइन्स की विवेचना करने के उपरान्त बोर्ड की 80वीं बैठक में अनुमोदित एवं 83वीं बैठक में संशोधित स्टोन क्रेशर से संबंधित गाईडलाइन को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार नवीन मार्गदर्शिका प्रस्तावित की जा रही है :–

1. राष्ट्रीय/राज्य मार्ग की सड़क के मध्य से कम से कम 250 मीटर तथा अन्य मार्गों (मुख्य जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग) की सड़क के मध्य से कम से कम 100 मीटर दूर इकाई को स्थापित किया जाएगा।
2. आबादी/सार्वजनिक स्थल/शैक्षणिक संस्थान/अस्पताल/धार्मिक स्थल से न्यूनतम दूरी 500 मीटर रखी जाए। इकाई से 500 मीटर की त्रिज्या में स्थित न्यूनतम 20 पक्के अथवा कच्चे मकानों को ही आबादी माना जाएगा।
3. भारतीय रेल की भूमि सीमा से इकाई की दूरी कम से कम 150 मीटर रखी जाए।
4. इकाई की आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) संयुक्त नर्सरी के किनारे से दूरियां प्रत्येक दशा में 500 मीटर से कम नहीं होंगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड़ से कम न हो पर निरपेक्ष रूप से लागू होंगी।

Scanned with CamScanner

5. स्टोन क्रशर की स्थापना हेतु इस गाइडलाइन के उपरोक्त क्रम संख्या–1, 2, 3 एवं 4 पर उल्लिखित तथ्यों की दूरियों के संबंध में राजस्व विभाग, उ.प्र. के संबंधित क्षेत्र के कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी से स्थल के भू–स्वामित्व के दृष्टिकोण से नक्शे का सत्यापन कराते हुए सर्वे, पैमाईश, वैज्ञानिक तरीकों (यथा जी.पी.एस./गूगल मानचित्र आदि विधियों) द्वारा दूरियों का सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर से कराया जाए तथा इस प्रकार सत्यापित प्रमाणिक दूरी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
6. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–I.A. No.- 1598-1600 in W.P.C 202 of 1995 में दिनांक – 04.08.2006 को पारित आदेश के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य प्राणि विहार तथा वन क्षेत्र से 1.0 कि.मी. की दूरी को Safety Zone माना गया है व इस Safety Zone के अन्दर इकाई की स्थापना प्रतिबन्धित है। इस संबंध में वन विभाग द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध लागू होगा।
7. भारत सरकार के पत्र दिनांक–02.12.2009 द्वारा इको सेन्सिटिव जोन घोषित करने संबंधी गाइडलाइन अथवा उ.प्र. राज्य में या उ.प्र. राज्य से सटे राज्यों में वन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य को इको सेन्सिटिव जोन घोषित किये जाने की दशा में तथा उक्त इको सेन्सिटिव जोन का कुछ हिस्सा उ.प्र. राज्य की सीमा में आता है तो राष्ट्रीय वन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य के प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन इकाई द्वारा किया जाएगा।
8. इस गाइडलाइन के उपरोक्त क्रम संख्या–6 एवं 7 पर उल्लिखित तथ्यों की दूरियों के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी से सर्वे, पैमाईश, वैज्ञानिक तरीकों (यथा जी.पी.एस./गूगल मानचित्र आदि विधियों) द्वारा दूरियों का सत्यापन करते हुए प्रमाणिक दूरी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे एवं वन विभाग के सुसंगत प्रतिबन्ध लागू होंगे।
9. इकाई नदी फ्लड जोन एरिया से कम से कम 500 मीटर दूर होना चाहिए, जिससे इकाईयों द्वारा खनिज अवैध रूप से प्राप्त कर अथवा अवैध खनन कर उपयोग किये जाने की संभावना न हो। इसका सत्यापन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
10. इकाई में मुख्य प्लाण्ट एवं मशीनरी चार दीवारी से न्यूनतम 30 मीटर दूर स्थापित करना, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमानुसार उपयुक्त व्यवस्था, कच्चे माल एवं उत्पाद के भण्डारण करने के लिये पर्याप्त भूमि की व्यवस्था आवश्यक होगी। प्लाण्ट को स्थापित करने के लिये न्यूनतम 1.0 हैक्टेयर भूमि आवश्यक होगी।
11. इकाई की स्थापना हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से स्थापना हेतु सहमति (CTE) से पूर्व प्रस्तावित इकाई को कच्चे माल की उपलब्धता के संबंध में खनन विभाग के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति/क्लीयरेन्स प्राप्त कर, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. धूल के कणों का उत्सर्जन रोकने की विधि (Dust Extractors) या धूल के कणों को हवा में उड़ने से रोक की विधि (Water Sprinklers) एवं यथासम्भव कवर्ड करने की व्यवस्था इकाई द्वारा की जाएगी।
13. इकाई के अंदर के सभी मार्ग पक्के (Metalled/Cement Concrete) करने होंगे।
14. इकाई की सीमा के अंदर सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल को हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव किये जाने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल के कण हवा में न उड़ सकें।

Scanned with CamScanner

सरकार द्वारा तत्क्रम में इको सेन्सिटिव ज़ोन घोषित करने पर जो प्रतिबन्ध लगाए जाएंगे, वे उक्त क्षेत्र में स्थापित इकाईयों पर स्वतः लागू होंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य से सटे जिन राज्यों में राष्ट्रीय वन क्षेत्र एवं सेंचुरी को Eco Sensitive Zone घोषित किया जा चुका है तथा उक्त Eco Sensitive Zone का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है तो राष्ट्रीय वन क्षेत्र एवं सेंचुरी हेतु लगाए गए प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

राष्ट्रीय संरक्षित वन क्षेत्र, सेंचुरी पार्क से स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों की न्यूनतम दूरी के संबंध में भविष्य में मा० न्यायालय अथवा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है तो वह स्वतः ही लागू माना जाएगा।

अतः बोर्ड द्वारा लिए गए उक्त निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

(डा० सी० एस० भट्ट)
सदस्य—सचिव।

सरकार द्वारा तत्क्रम में इको सेन्सिटिव जोन घोषित करने पर जो प्रतिबन्ध लगाए जाएंगे, वे उक्त क्षेत्र में स्थापित इकाईयों पर स्वतः लागू होंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य से सटे जिन राज्यों में राष्ट्रीय वन क्षेत्र एवं सेंचुरी को Eco Sensitive Zone घोषित किया जा चुका है तथा उक्त Eco Sensitive Zone का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है तो राष्ट्रीय वन क्षेत्र एवं सेंचुरी हेतु लगाए गए प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

राष्ट्रीय संरक्षित वन क्षेत्र, सेंचुरी पार्क से स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों की न्यूनतम दूरी के संबंध में भविष्य में मा० न्यायालय अथवा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है तो वह स्वतः ही लागू माना जाएगा।

अतः बोर्ड द्वारा लिए गए उक्त निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

(डा० सी० एस० भट्ट)
सदस्य–सचिव।

कार्यसूची संख्या–83.09

षय : प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के संबंध में बोर्ड की 80वीं बैठक में अनुमोदित गाईड लाइन में संशोधन के संबंध में।

उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली एवं कार्यरत स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर काईयों के संबंध में बोर्ड की 80वीं बैठक में गाईड लाइन (प्रति संलग्न) अनुमोदित की गई थी, जो : वर्तमान में प्रभावी है। उक्त गाईड लाइन के अनुक्रम में जिला उद्यान अधिकारी, सहारनपुर के ांक–535/विविध, दिनाँक 21–08–2010 के द्वारा स्टोन क्रशर की स्थापना के लिए बागों से दूरी पूर्व–पश्चिम 1500 मीटर एवं उत्तर–दक्षिण 500 मीटर निर्धारित किये जाने हेतु बोर्ड से अनुरोध या गया है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के अतिरिक्त जिला उद्यान अधिकारी, सहारनपुर के ांक–79/एम0ओ0सी0, दिनाँक 28–07–2010 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उद्यान विभाग मानकों के अनुसार बाग 1.0 हेक्टेअर का होना चाहिए, जिसमें 100 कलमी आम के पौधे लगे होने हिए तथा बाग 10 वर्ष से अधिक आयु का हो। उसे ही बाग की श्रेणी में माना जाता है।

जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा भी पत्रांक–282/एस–6/पर्या0/एसआरई/10, दिनाँक –05–2010 के द्वारा पूर्व अनुमोदित गाईड लाइन के क्रम संख्या–3, जिसमें राष्ट्रीय संरक्षित वन त्र/सेंचुरी पार्क/आरचर्ड से दूरी 3 किमी0 होनी चाहिए के संबंध में अनुरोध किया है कि जन त में संतुलित विकास की दृष्टि से यह उचित रहेगा कि स्टान क्रशिंग इकाई एवं बाग से दूरी के दर्भ में गाईड लाइन पर पुनर्विचार किया जाये।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न वन क्षेत्रों को मुख्यतः निम्न 3 श्रेणियों बांटा गया है–

1-Protected Area (संरक्षित क्षेत्र) such as National Park and Sanctuary.

2-Protected Forest such as reserve forest (संरक्षित वन) declared under ection 29 of Indian forest Act.

3-Reserve Forest declared (आरक्षित वन क्षेत्र) under section 20 of Indian Forest Act.

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनाँक 02-12-2009 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 04-12-2006 (रिट याचिका संख्या-460 आफ 2004) के अनुसार Protected Area जैसे कि नेशनल पार्क, Wild Life Sanctuary की बाउण्ड्री से 10 किमी0 तक का क्षेत्र Eco Sensitive Zone माना गया है।

वन मण्डल अधिकारी, वन विभाग, हरियाणा द्वारा अपने पत्र दिनाँक 04-12-2009 के द्वारा अवगत कराया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनाँक 04-08-2006 में IA No. 1598-1600 in W.P. C 202/95 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य प्राणि विहार तथा वन क्षेत्र से 01 किमी0 की दूरी को Safety Zone माना गया है व इस Safety Zone के अन्दर किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं हो सकता। राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य प्राणि विहार क्षेत्र के 03 किमी0 के साथ लगे क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-26 के अंतर्गत वर्जित है।

उपरोक्त परिस्थिति में सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली एवं कार्यरत स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के संबंध में बोर्ड की 80वीं बैठक में अनुमोदित गाईड लाइन के क्रम संख्या-3 "राष्ट्रीय संरक्षित वन क्षेत्र/सेंचुरी पार्क/आरचर्ड से दूरी 3 कि0मी0 होनी चाहिए।" के स्थान पर निम्न प्राविधानों को समावेशित किया जाना प्रस्तावित है:-

1. बाग से स्टोन क्रशर, स्क्रिनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों की न्यूनतम दूरी पूरब-पश्चिम 1500 मी0 एवं उत्तर-दक्षिण में 500 मी0 होनी चाहिए। यहाँ बाग से तात्पर्य ऐसे बाग/संयुक्त नर्सरी से है, जिसका क्षेत्रफल कम से कम 2.5 एकड़ का हो तथा जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष (आम/मिश्रित) लगे हों।
2. संरक्षित क्षेत्र जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाईफ सेंचुरी की बाउण्ड्री से 10 किमी0 तक का क्षेत्रफल Eco Sensitive Zone घोषित है। अतः इस क्षेत्र में न्यूनतम 10 किमी0 की

(17)

दूरी के अन्दर स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों की स्थापना नहीं की जायेगी।

3. भारतीय वन अधिनियम की धारा–29 अथवा धारा–20 में घोषित संरक्षित वन क्षेत्र की बाउण्ड्री वाल से न्यूनतम 02 किमी0 की दूरी के बाहर स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयां स्थापित की जानी चाहिए ।

4. उत्तर प्रदेश राज्य से सटे जिन राज्यों में राष्ट्रीय वन क्षेत्र एवं सेंचुरी को Eco Sensitive Zone घोषित किया जा चुका है तथा उक्त Eco Sensitive Zone का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा में आता है तो राष्ट्रीय वन क्षेत्र एवं सेंचुरी हेतु लगाये गये प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. राष्ट्रीय संरक्षित वन क्षेत्र, सेंचुरी पार्क से स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों की न्यूनतम दूरी के संबंध में भविष्य में माँ0 न्यायालय अथवा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है तो वह स्वतः ही लागू माना जायेगा।

अतएव बोर्ड की 80वी बैठक में अनुमोदित गाईड लाइन के क्रम संख्या– 3 अर्थात् "राष्ट्रीय संरक्षित वन क्षेत्र/सेंचुरी पार्क/आरक्षित से दूरी 3 कि0मी0 होनी चाहिए।" के स्थान पर उपरोक्त वर्णित बिन्दु 1 से 5 को 3(1), 3(2), 3(3), 3(4) तथा 3(5) के रूप में समावेशित करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

6758

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन, तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या- C-1673/32/2010/?   दिनांक 19.1.2010

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-3

दिनांक- ३१ दिसम्बर,२००९ को सम्पन्न ९७ वीं बैठक की कार्यसूची संख्या-९७.०६ में प्रस्तुत विषय " प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाईयों के संबंध में और अधिक प्रभावी कार्यवाही हेतु गाइड लाइंस बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव (छाया प्रति संलग्न) पर बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

"बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। साथ ही निर्देश दिए गए कि इस संबंध में वन विभाग की गाइड लाइन को भी संज्ञान में लिया जाय।"

अतः बोर्ड द्वारा लिए गए उक्त निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

(डा० सी० एस० भट्ट)
सदस्य-सचिव।

(19)

कार्य सूची संख्या:- 80.06

विषय – प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों के सम्बन्ध में और अधिक प्रभावी कार्यवाही हेतु गाइड लाइंस बनाए जाने के लिए प्रस्ताव

जनपद सहारनपुर, उत्तराखण्ड एवं हरियाणा राज्य की सीमा से लगा हुआ स्थित है। हरियाणा राज्य स्टोन क्रशिंग इकाइयों की बंदी के कारण कई नई स्टोन क्रशिंग इकाइयाँ/हरियाणा राज्य से विस्थापित हो यमुना नदी के किनारे–किनारे झुण्ड के रूप में स्थापित हो रही हैं। गत एक वर्ष में लगभग 50 नई इकाइयों प्रस्ताव प्राप्त हुए है। हरियाणा राज्य में स्टोन क्रशिंग इकाइयों पर रोक लगी होने के कारण इस संख्या में और व सम्भावित है। प्रश्नगत क्षेत्र के अंतर्राज्यीय सीमा से लगे होने, राजाजी नेशनल पार्क के निकट होने की स्थि में ही रोक नहीं लगाई गई तो जनपद सहारनपुर में पर्यावरणीय असंतुलन की समस्या से नकारा नहीं जा सक है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्टोन क्रशिंग इकाइयों की स्थापना के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत अधिसू गाइड लाइंस नहीं हैं। बोर्ड द्वारा पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1146/45–3(प्र0नि0/86 दिनांक 23.04.87 के अनुसार कार्यवाही की जा रही थी जिसके अनुसार मुख्यतः मुख्य मार्ग से 500 मी0, मुख्य आबादी से दूरी 1 किमी0 तथा दो स्टोन क्रशिंग इकाइयों के बीच की दूरी 400 मी0 से कम होनी चाहिए। दो स्टोन क्रशिंग इकाइयों के बीच की दूरी 400 मी0 का पालन करने पर इन इकाइयों का विस्त और अधिक क्षेत्र में होगा। स्टोन क्रशिंग इकाइयों को स्टोन उपलब्ध कराने वाले स्क्रीनिंग प्लान्ट (वाटर वाशिंग) लिए भी स्थल स्थापना संबंधी नीति बनाई जानी आवश्यक है।

राज्य उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर अनुज्ञा नीति, 2008 ब गई है। (प्रति संलग्न) हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.97 जारी की गई है। (प्रति संल हरियाणा राज्य की गाइड लाइंस में आबादी एवं सड़क से दूरी के मानक उ0प्र0 राज्य की वर्तमान नीति मिलते–जुलते है। हरियाणा राज्य की गाइड लाइंस में दो स्टोन क्रशर के बीच की दूरी निर्धारित नहीं उत्तराखण्ड की गाइड लाइंस में स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की चारदीवारी से न्यूनतम 50 मीटर दूरी पर प्लान्ट की स्थापना के मानक निर्धारित हैं।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण उद्देश्य से प्रदेश में स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजर इकाइयों हेतु सहारनपुर गाइड लाइन की गयी है।

6760

अतएव बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव है कि :-

प्रदेश में पर्यावरणीय दृष्टि से सन्तुलित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में स्टोन क्रशर प्लान्ट एवं [illegible] इकाइयों हेतु प्रस्तावित गाइड लाइन का अनुमोदन कर अनुमति प्रदान कर[illegible]

(28)

Chunar, Mirzapur, 231301, UP, India
Latitude
25.051739°
Longitude
82.991922°
Local 08:17:44 AM
GMT 02:47:44 AM
Altitude 119.7 meters
Sunday, 03/17/2024

29

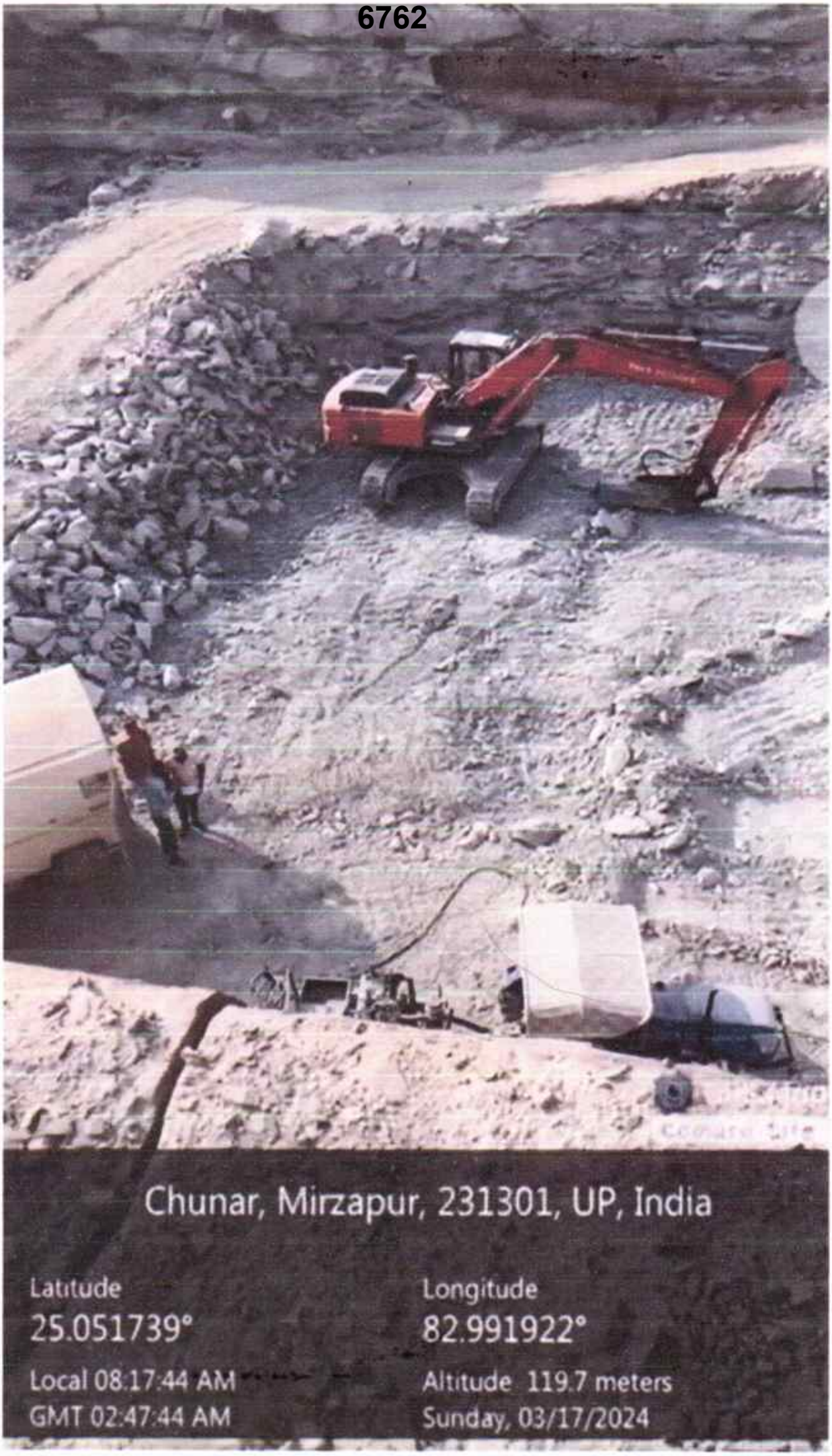
Chunar, Mirzapur, 231301, UP, India
Latitude
25.051739°
Longitude
82.991922°
Local 08:17:44 AM
GMT 02:47:44 AM
Altitude 119.7 meters
Sunday, 03/17/2024

30

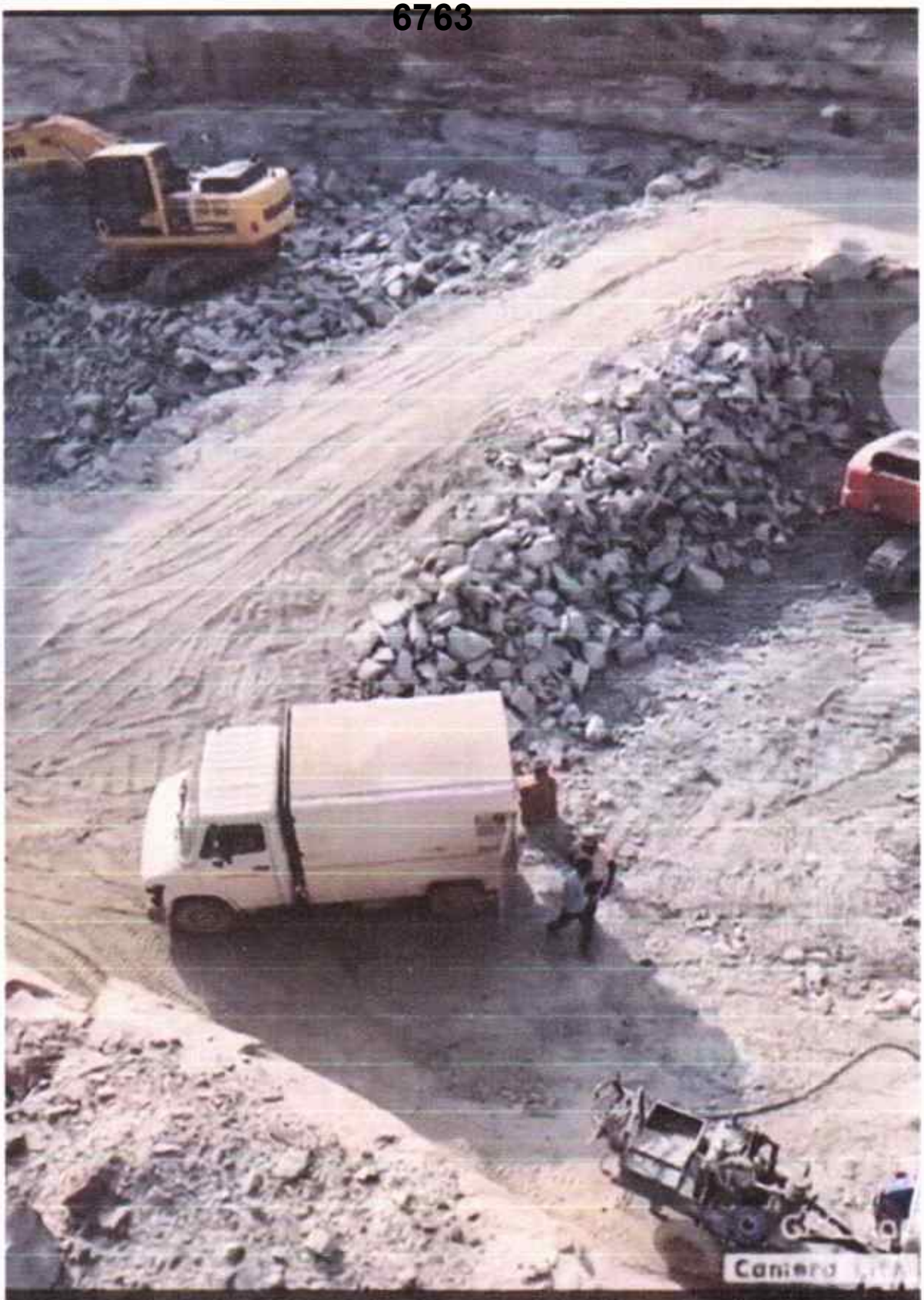

Chunar, Mirzapur, 231301, UP, India

Latitude
25.051739°

Longitude
82.991922°

Local 08:17:44 AM

Altitude 119.7 meters

(31)

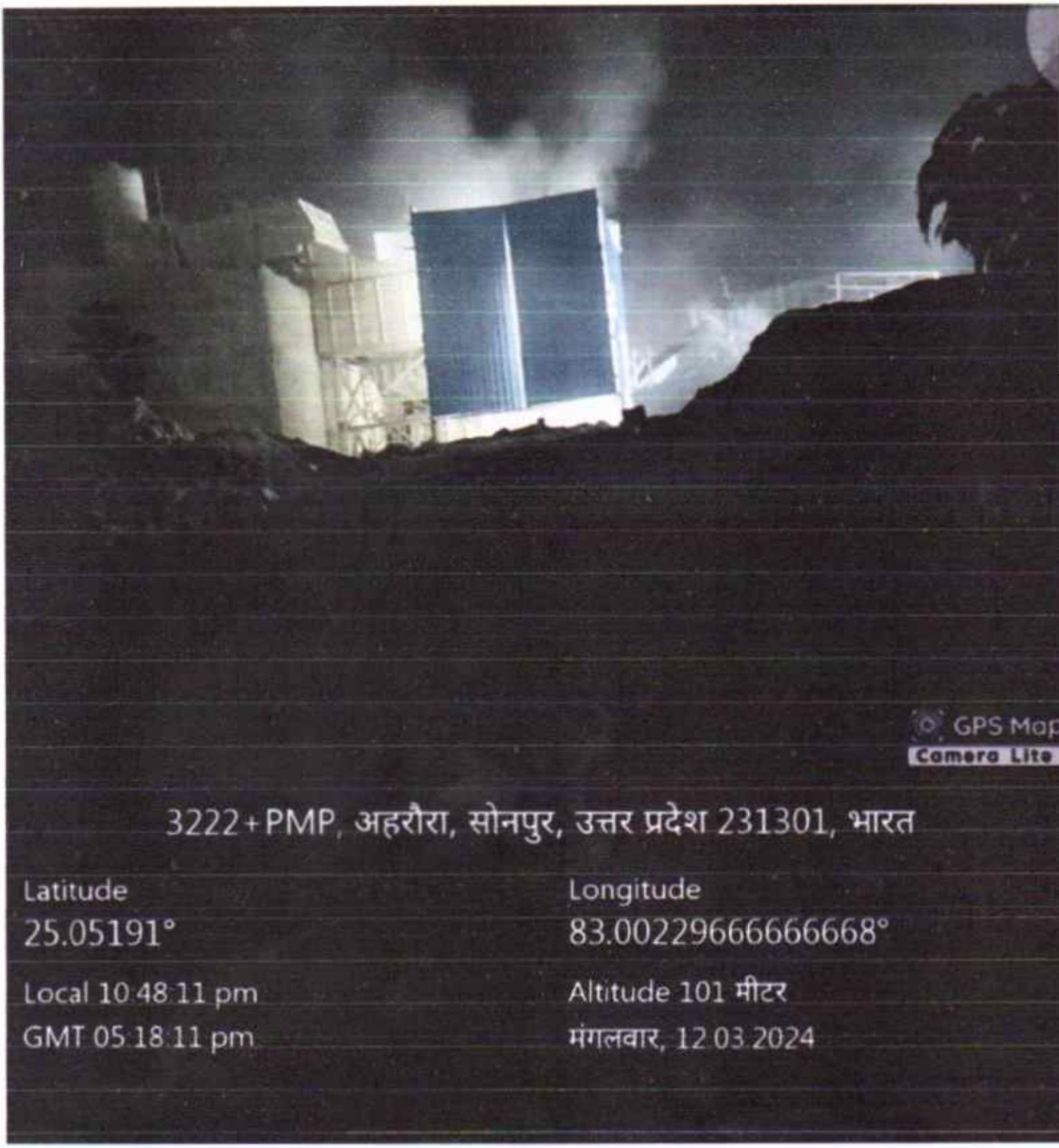
GPS Map
Camera Lite
3222+PMP, अहरौरा, सोनपुर, उत्तर प्रदेश 231301, भारत
Latitude
25.05191°
Longitude
83.002296666666668°
Local 10:48:11 pm
GMT 05:18:11 pm
Altitude 101 मीटर
मंगलवार, 12/03/2024

32

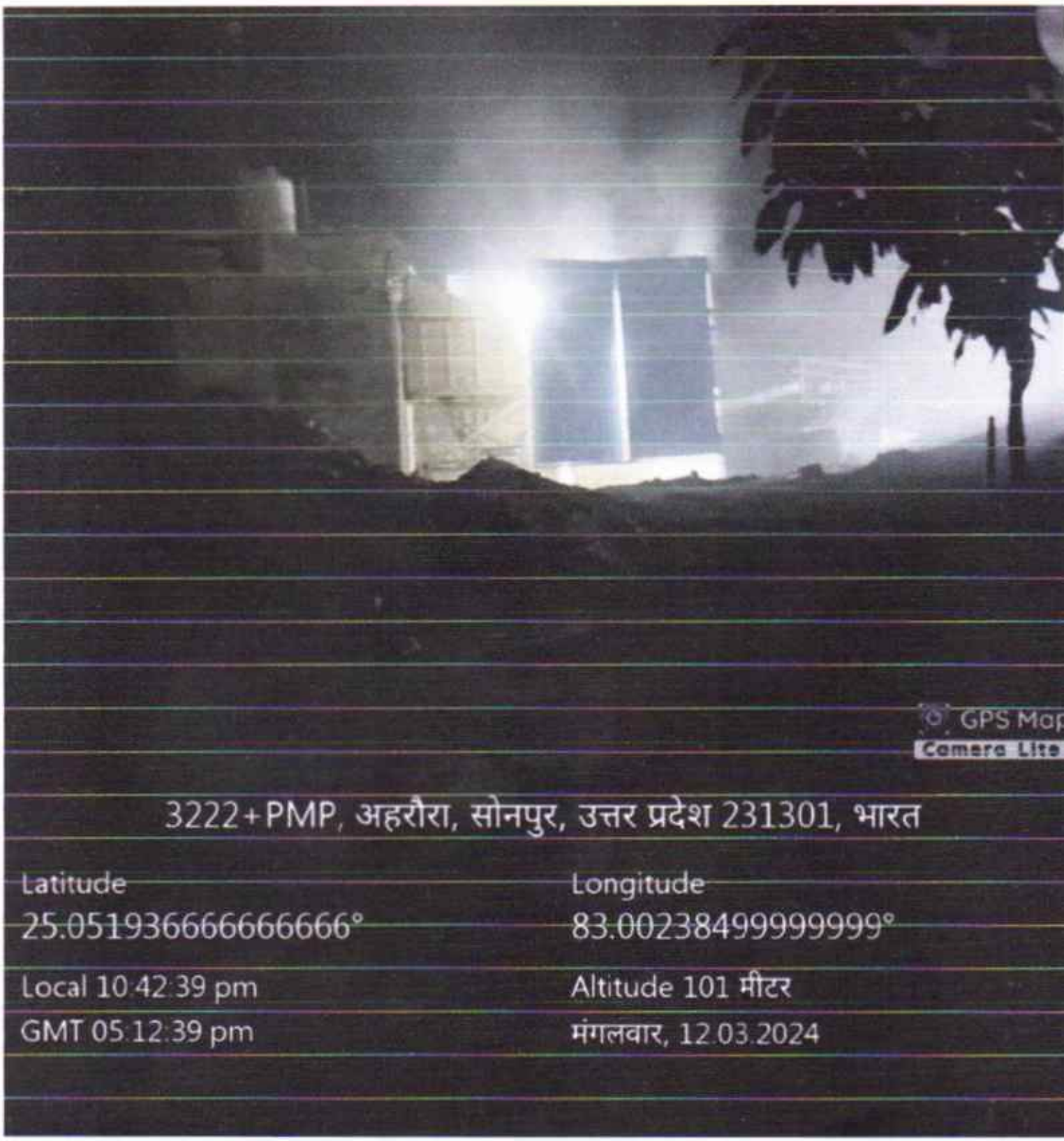
GPS Map
Camera Lite
3222+PMP, अहरौरा, सोनपुर, उत्तर प्रदेश 231301, भारत
Latitude
25.051936666666666°
Longitude
83.00238499999999°
Local 10:42:39 pm
GMT 05:12:39 pm
Altitude 101 मीटर
मंगलवार, 12.03.2024

(32)

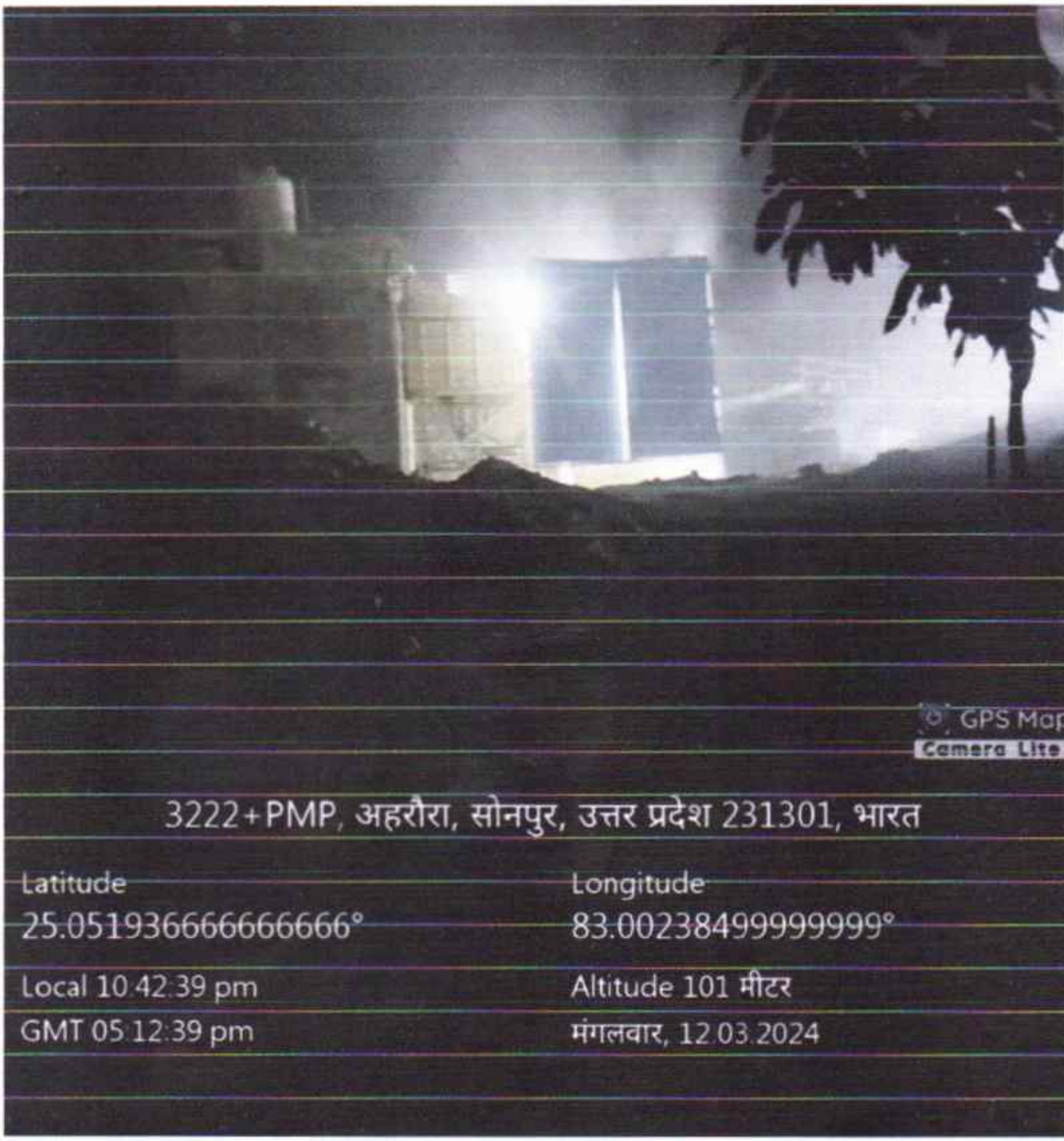
GPS Map
Camera Lite
3222+PMP, अहरौरा, सोनपुर, उत्तर प्रदेश 231301, भारत
Latitude
25.051936666666666°
Longitude
83.00238499999999°
Local 10:42:39 pm
GMT 05:12:39 pm
Altitude 101 मीटर
मंगलवार, 12.03.2024

33

Chunar, Mirzapur, 231301, UP, India
Latitude
25.051435°
Longitude
82.992405°
Local 08:50:34 AM
GMT 03:20:34 AM
Altitude 117.9 meters
Monday, 03/18/2024

34

35

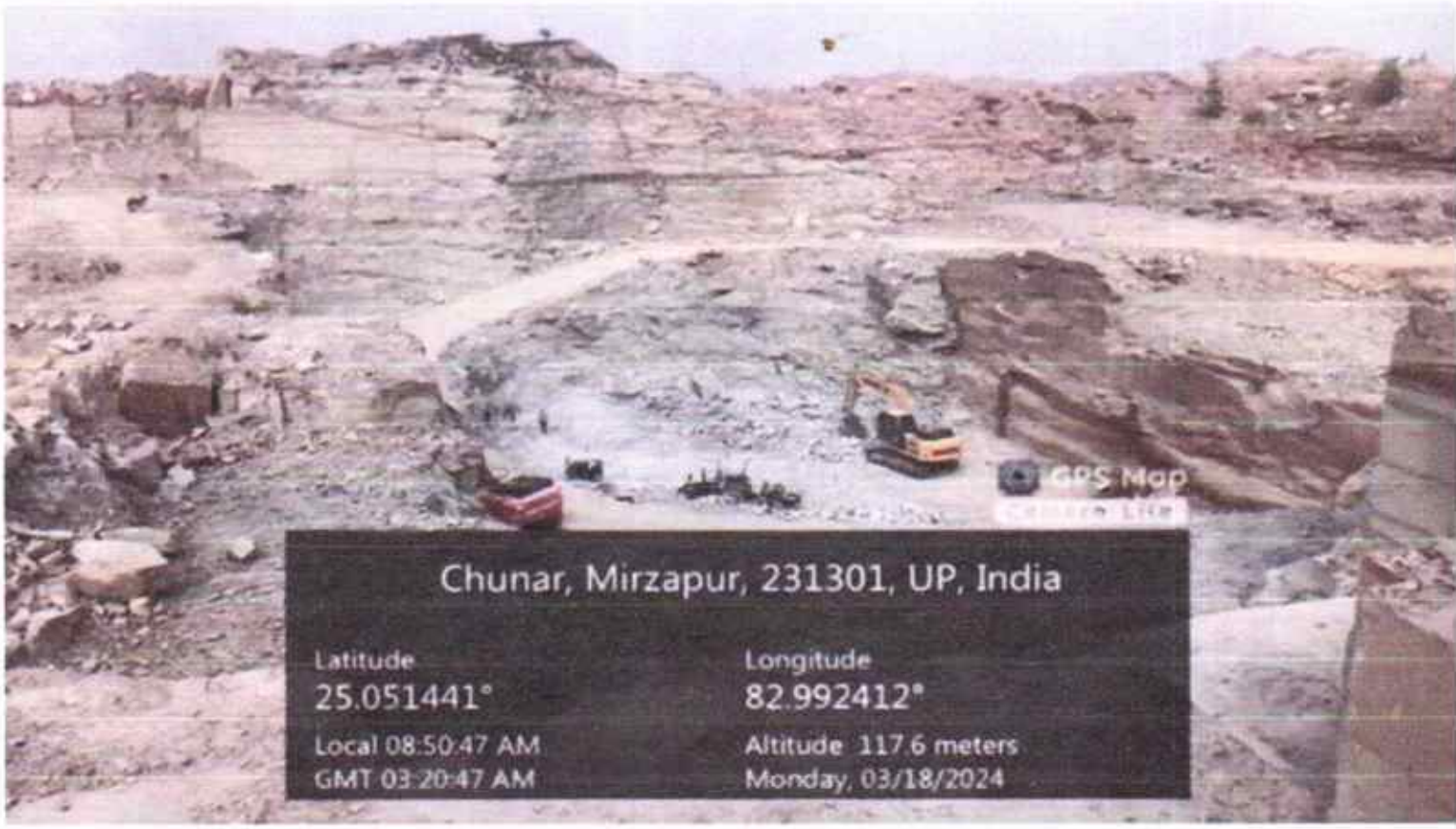
GPS Map
Chunar, Mirzapur, 231301, UP, India
Latitude
25.051441°
Longitude
82.992412°
Local 08:50:47 AM
GMT 03:20:47 AM
Altitude 117.6 meters
Monday, 03/18/2024

36

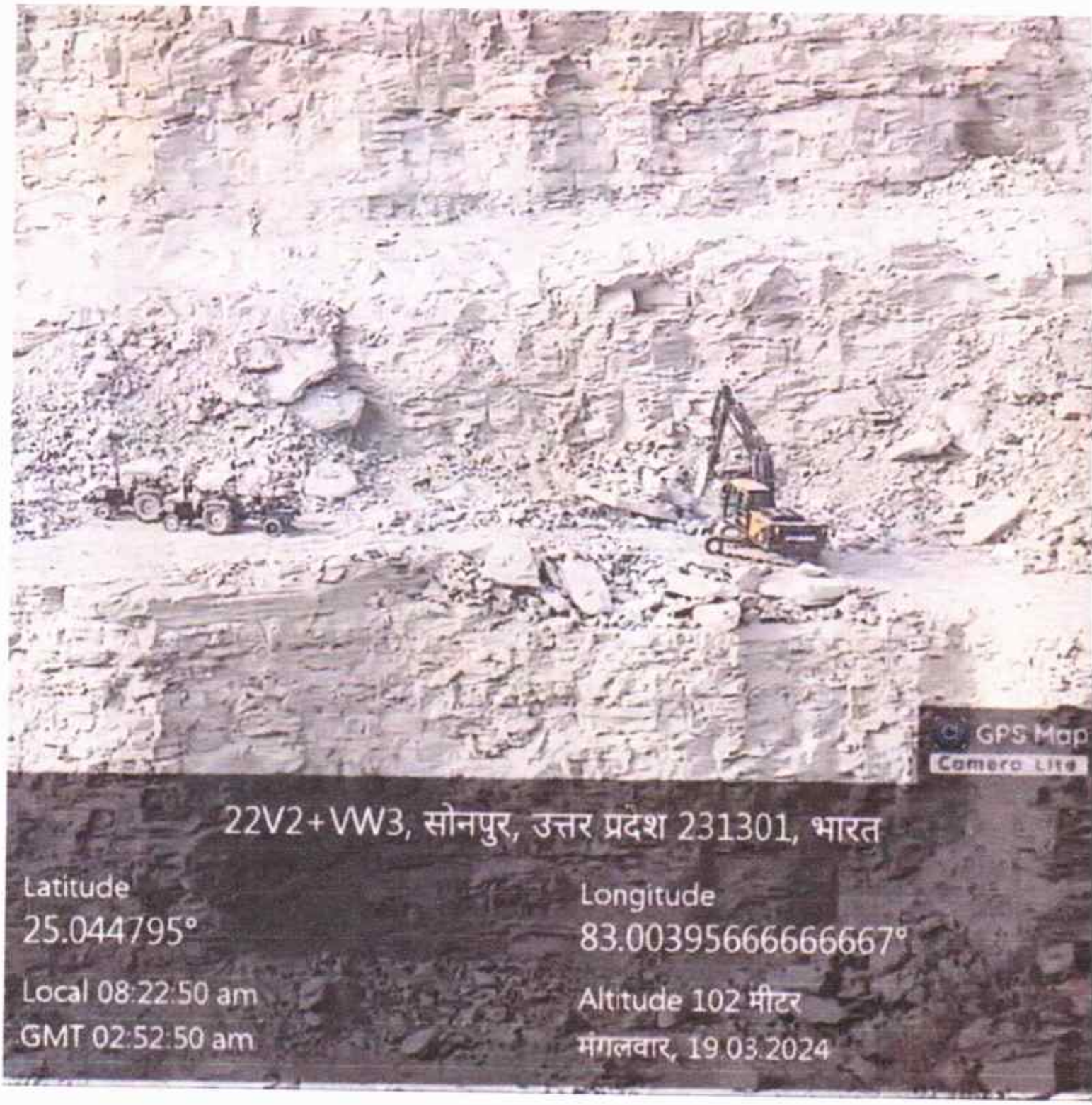
GPS Map
Camera Lite
22V2+VW3, सोनपुर, उत्तर प्रदेश 231301, भारत
Latitude
25.044795°
Longitude
83.00395666666667°
Local 08:22:50 am
GMT 02:52:50 am
Altitude 102 मीटर
मंगलवार, 19.03.2024

(37)

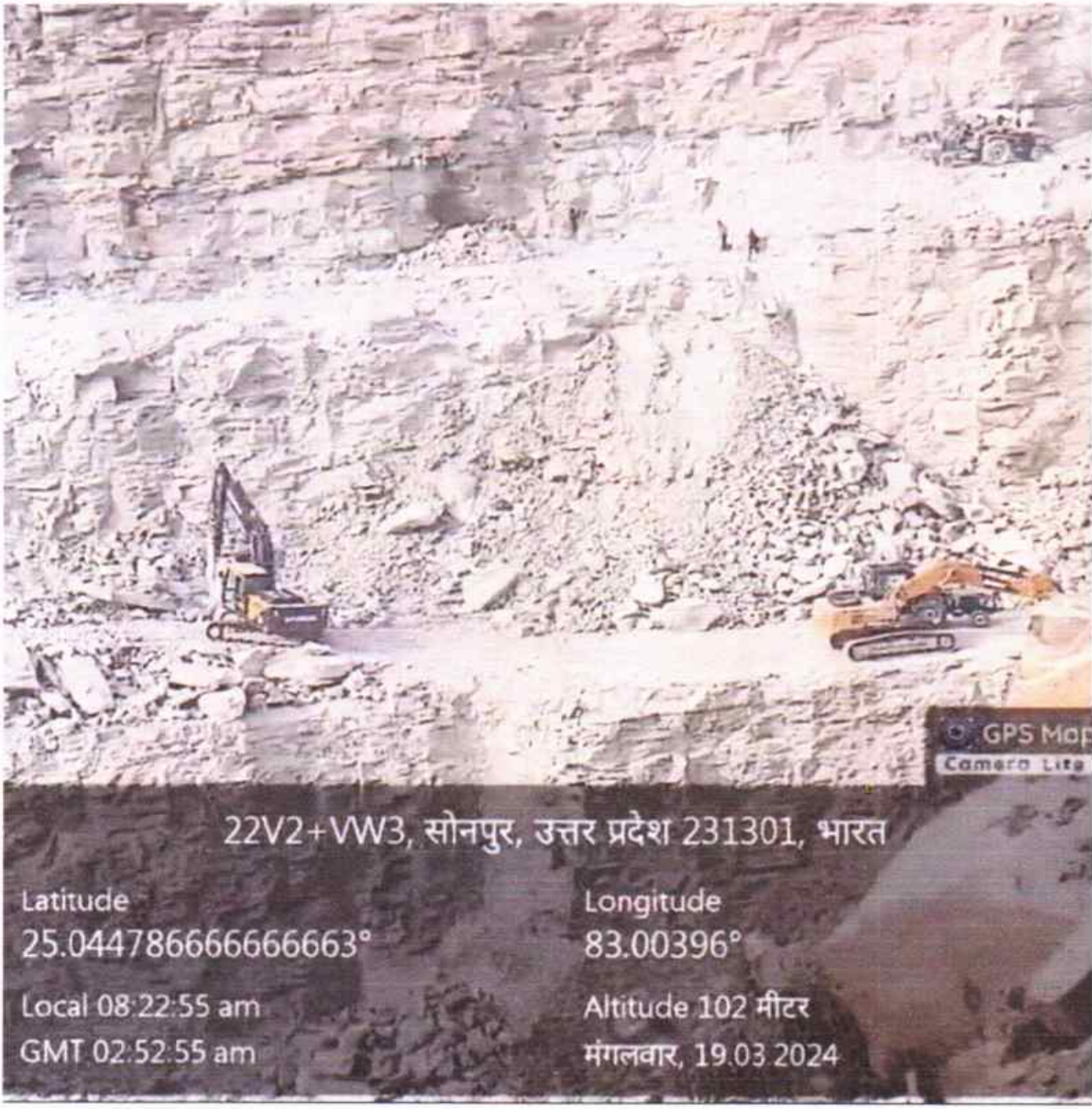
GPS Map
Camera Lite
22V2+VW3, सोनपुर, उत्तर प्रदेश 231301, भारत
Latitude
25.044786666666663°
Longitude
83.00396°
Local 08:22:55 am
GMT 02:52:55 am
Altitude 102 मीटर
मंगलवार, 19.03.2024

(38)

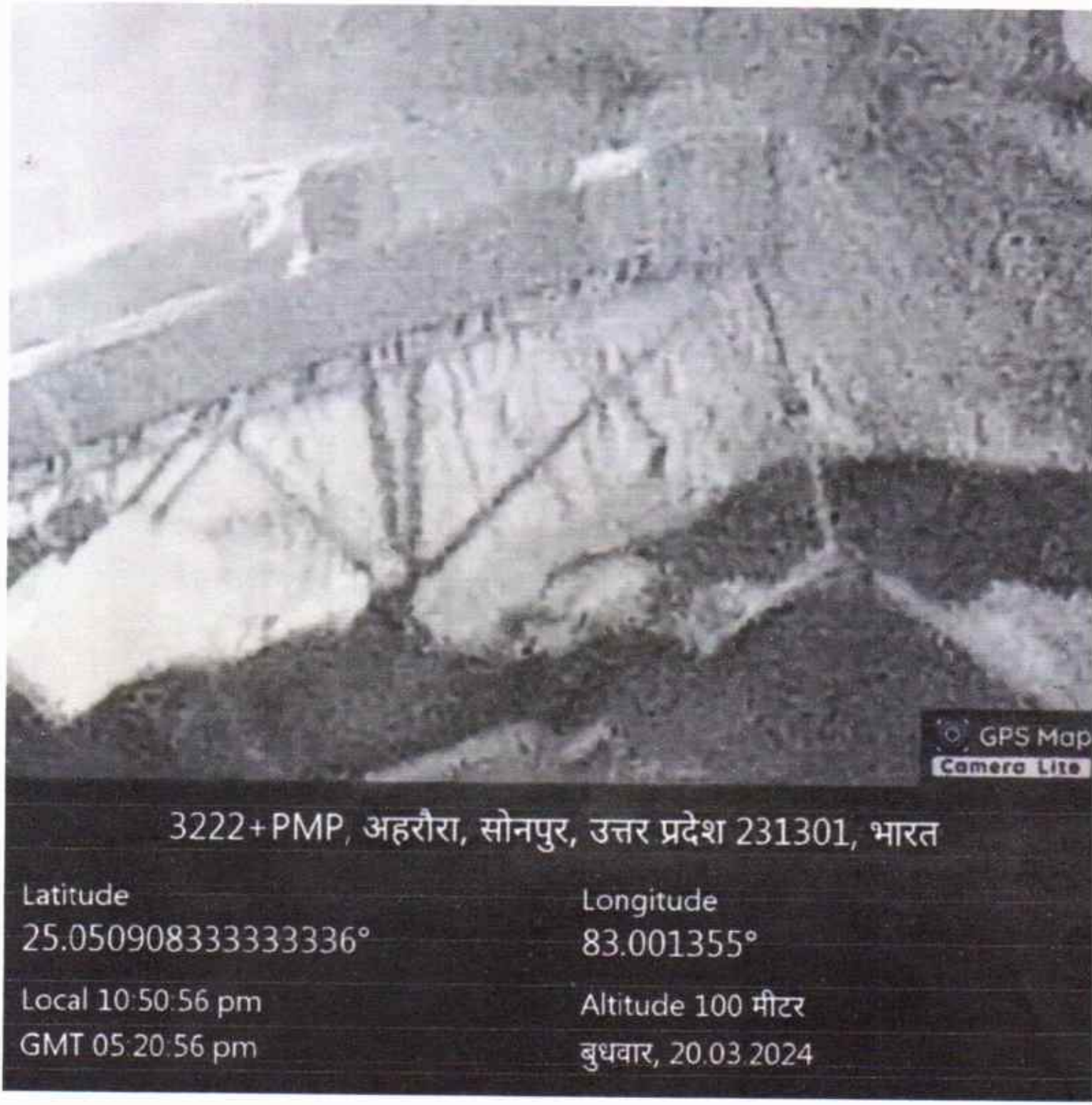
GPS Map
Camera Lite
3222+PMP, अहरौरा, सोनपुर, उत्तर प्रदेश 231301, भारत
Latitude
25.050908333333336°
Longitude
83.001355°
Local 10:50:56 pm
GMT 05:20:56 pm
Altitude 100 मीटर
बुधवार, 20.03.2024

(44)

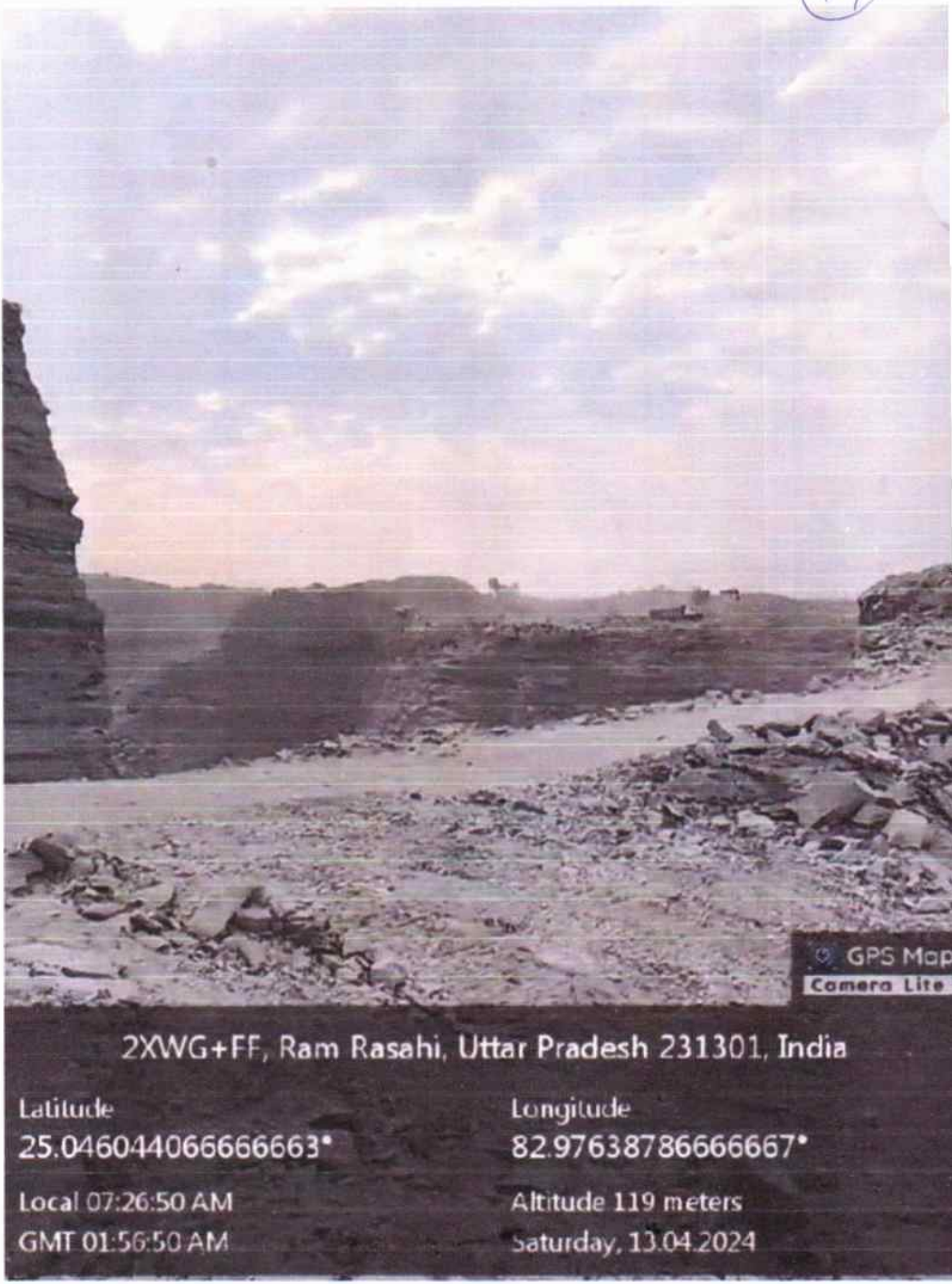
GPS Map
Camera Lite
2XWG+FF, Ram Rasahi, Uttar Pradesh 231301, India
Latitude
25.046044066666663°
Longitude
82.976387866666667°
Local 07:26:50 AM
GMT 01:56:50 AM
Altitude 119 meters
Saturday, 13.04.2024

44

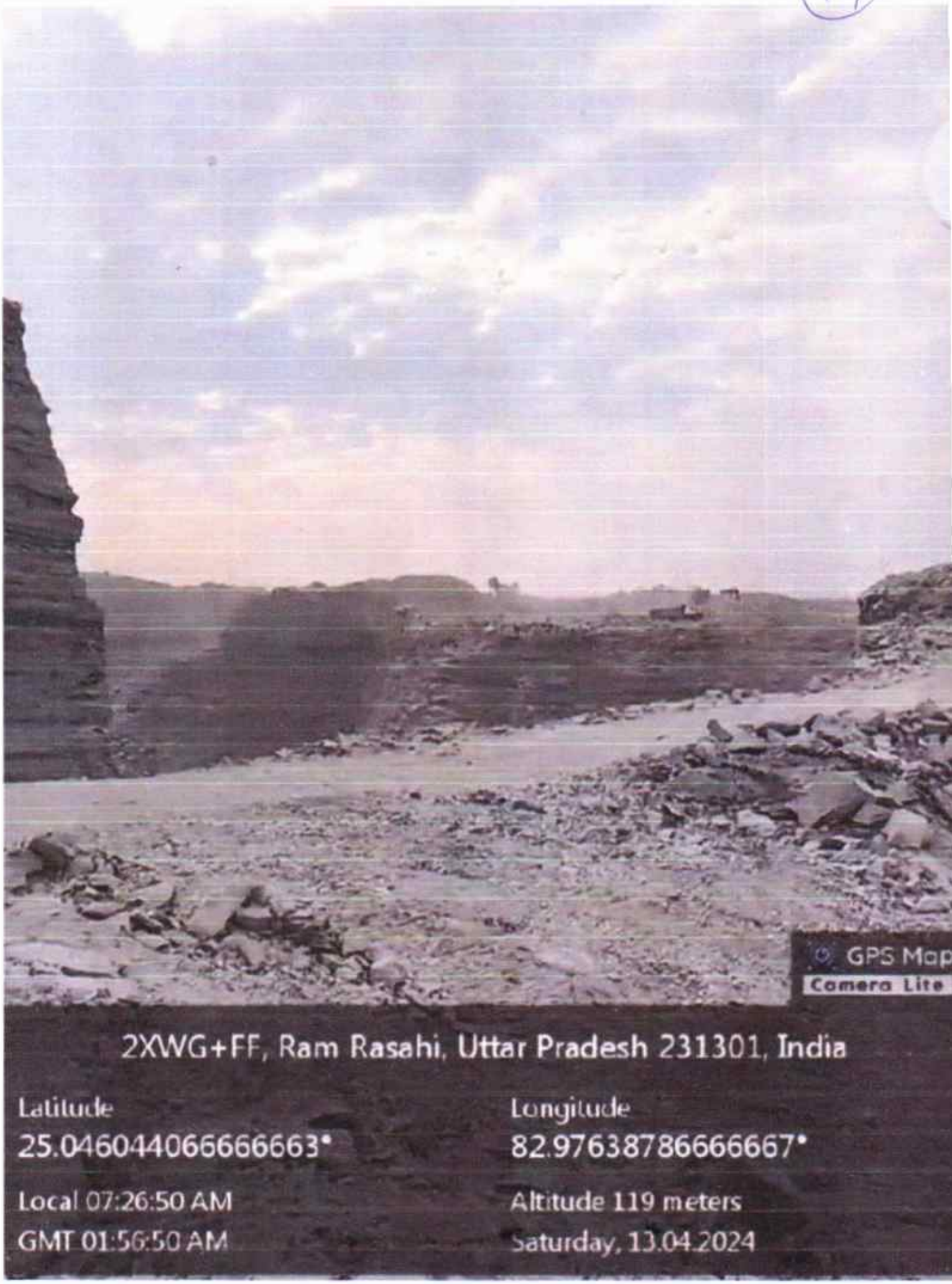
GPS Map
Camera Lite
2XWG+FF, Ram Rasahi, Uttar Pradesh 231301, India
Latitude
25.046044066666663°
Longitude
82.97638786666667°
Local 07:26:50 AM
GMT 01:56:50 AM
Altitude 119 meters
Saturday, 13.04.2024

(45)

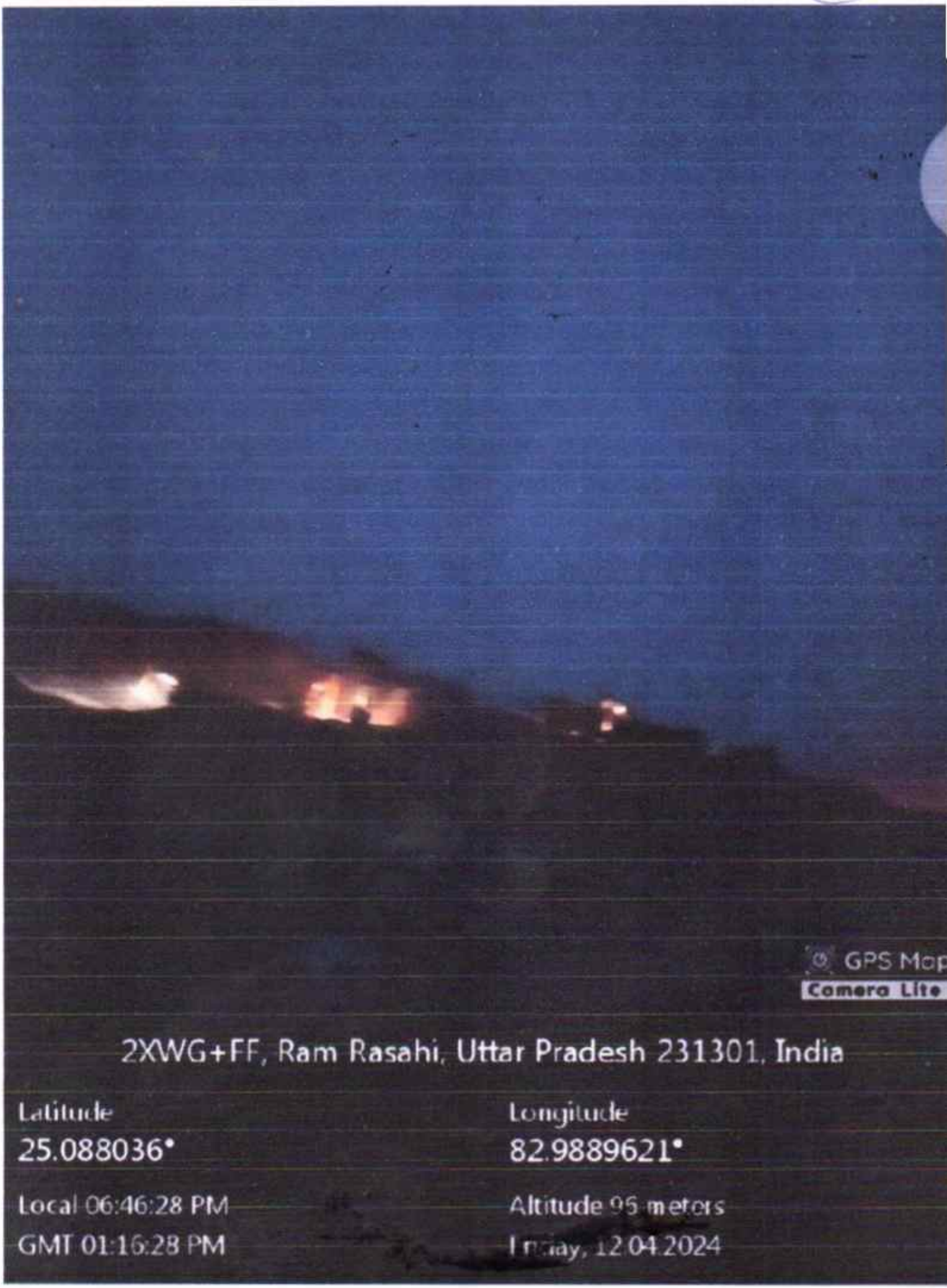
GPS Map
Camera Lite
2XWG+FF, Ram Rasahi, Uttar Pradesh 231301, India
Latitude
25.088036°
Longitude
82.9889621°
Local 06:46:28 PM
GMT 01:16:28 PM
Altitude 96 meters
Friday, 12.04.2024

46

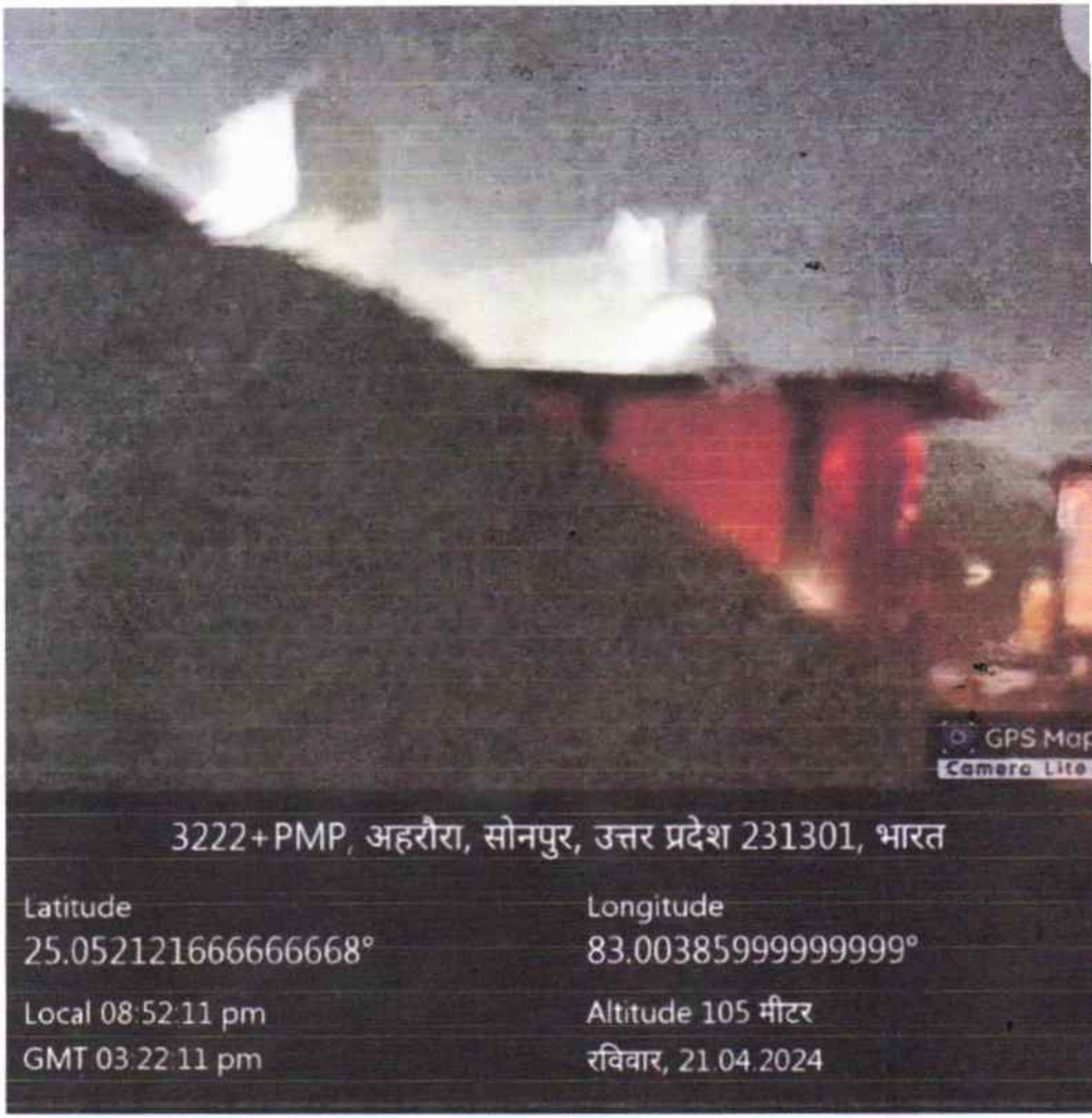
GPS Map
Camera Lite
3222+PMP, अहरौरा, सोनपुर, उत्तर प्रदेश 231301, भारत
Latitude
25.052121666666668°
Longitude
83.003859999999999°
Local 08:52:11 pm
GMT 03:22:11 pm
Altitude 105 मीटर
रविवार, 21.04.2024